

संख्या-2/2026-1032/63-व030-2025-17(एच)/2022

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग।

लखनऊ: दिनांक: 13 मार्च, 2026

विषय:- उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2022 में संशोधन विषयक।

महोदय,

कृपया अपने पत्र सं0-811/नियोजन-टेक्स0पॉलिसी-2022/2025-26 दिनांक 18.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। परीक्षणोपरान्त उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेन्टिंग पॉलिसी-2022 में निम्नवत संशोधन किया जाता है:-

क्र0	प्रस्तर	वर्तमान प्राविधान	संशोधित प्राविधान
1	3.14	स्थायी पूँजी निवेश: भूमि, भवन (प्रशासनिक भवन छोड़कर), विविध स्थायी निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी व संयंत्रों पर किया गया निवेश। स्थायी पूँजी निवेश के आगणन के अन्तर्गत भूमि के प्रभावी मूल्य के 10 प्रतिशत तक की ही गणना की जाएगी।	स्थायी पूँजी निवेश: भूमि, भवन, विविध स्थायी निर्माण, प्लान्ट एवं मशीनरी व संयंत्रों एवं स्पेयर पार्ट्स पर किया गया निवेश। स्थायी पूँजी निवेश के आगणन के अन्तर्गत भूमि के प्रभावी मूल्य के 10 प्रतिशत तक की ही गणना की जाएगी।
2	3.15	“पात्र पूँजी निवेश” का तात्पर्य ऐसे पूँजी निवेश से है जो किसी वस्त्र औद्योगिक उपक्रम द्वारा पॉलिसी की अवधि में किया गया हो एवं इकाई द्वारा “लेटर आफ कम्फर्ट” निर्गत होने के तीन वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।	“पात्र पूँजी निवेश” का तात्पर्य ऐसे पूँजी निवेश से है जो किसी वस्त्र औद्योगिक उपक्रम द्वारा पॉलिसी की अवधि में किया गया हो। यदि वस्त्र उद्योग उपक्रम द्वारा पूँजी निवेश, नीति की प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारम्भ किया गया है तो ऐसे पूँजी निवेश (भूमि में किए गए निवेश को छोड़कर) का न्यूनतम 80 प्रतिशत नीति के प्रभावी तिथि के बाद किया जाना चाहिए तथा उक्त पूँजी निवेश को ही पात्र पूँजी निवेश माना जायेगा। इकाई द्वारा “लेटर आफ कम्फर्ट” निर्गत होने के तीन वर्ष के अन्दर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो। यदि इकाई द्वारा नीति की प्रभावी अवधि में निवेश प्रारम्भ कर दिया जाता है, तो लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत होने के 3 वर्ष के अंदर अथवा

			वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो, में किया गया निवेश पात्र पूँजी निवेश माना जायेगा।
3	3.16	निवेश की पात्र अवधि का तात्पर्य इस पॉलिसी की अधिसूचना जारी होने की तारीख से शुरू होकर इस पॉलिसी के परिचालन अवधि तक की अवधि से होगा। सभी प्रकार के वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में, पॉलिसी की प्रभावी अवधि में निवेश किया गया हो एवं “लेटर आफ कम्फर्ट” निर्गत होने के तीन वर्ष के अन्दर इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो।	“निवेश की पात्र अवधि” का तात्पर्य इस पॉलिसी की अधिसूचना जारी होने की तारीख से शुरू होकर इस पॉलिसी के परिचालन अवधि तक की अवधि से होगा। इस प्रकार के वस्त्र औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में, पॉलिसी की इस प्रभावी अवधि में निवेश किया गया हो एवं लेटर आफ कम्फर्ट निर्गत होने के तीन वर्ष के अन्दर इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो। यदि इकाई द्वारा नीति की प्रभावी अवधि में निवेश प्रारम्भ कर दिया जाता है, तो लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत होने के 3 वर्ष के अंदर अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि, जो भी पहले हो, को निवेश की पात्र अवधि माना जायेगा।
4	3.17	“प्लान्ट एवं मशीनरी” का तात्पर्य नये, स्वदेशी/आयातित यंत्र एवं संयंत्र से है, जिसमें उपकरण, ह्यूमिडीफायर, जेनरेटिंग सेट, ब्यायलर, कैप्टिव पावर प्लान्ट, डाईज एवं मोल्ड्स, सौर ऊर्जा संयंत्र तथा इकाई की प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र एवं संयंत्र से है, जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो। मशीनरी का ट्रांसपोर्टेशन, इरेक्शन, इन्स्टॉलेशन तथा इलेक्ट्रीफिकेशन को भी प्लान्ट एवं मशीनरी की लागत में सम्मिलित किया जायेगा, यदि मशीनरी विक्रेता/सप्लायर द्वारा मशीनरी की लागत के साथ चार्ज किया जाता है। पुराने यंत्र-संयंत्र इत्यादि प्लान्ट एवं मशीनरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।	“प्लान्ट एवं मशीनरी” का तात्पर्य नए, स्वदेशी/आयातित यंत्र एवं संयंत्र से है, जिसमें उपकरण, ह्यूमिडीफायर, जेनरेटिंग सेट, ब्यायलर, कैप्टिव पावर प्लान्ट, डाईज एवं मोल्ड्स, सौर ऊर्जा संयंत्र तथा इकाई की प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र एवं संयंत्र से है, जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो। मशीनरी का ट्रांसपोर्टेशन, इरेक्शन, इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग से सम्बन्धित मशीनरी, फैब्रीकेशन तथा इलेक्ट्रीफिकेशन को भी प्लान्ट एवं मशीनरी की लागत में सम्मिलित किया जायेगा, यदि ऐसे व्यय का पूँजीकरण किया गया हो। पुराने यंत्र-संयंत्र इत्यादि प्लान्ट एवं मशीनरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।
5	4.1.a	सरकारी संस्थाओं यथा:- औद्योगिक प्राधिकरणों/सरकारी विभागों एवं अन्य विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयों के लिए भूमि क्रय पर अनुदान	भूमि- भूमि के पंजीकृत विलेख के अनुसार वास्तविक क्रय मूल्य को परियोजना के लिए भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्ज को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा। यदि भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास

		दिया जायेगा। इन सरकारी संस्थाओं से सीधे भूमि क्रय करने वाले निवेशकों को भूमि की लागत मूल्य का 25 प्रतिशत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। गौतमबुद्ध नगर जिले में यह सब्सिडी 15 प्रतिशत होगी। यह सब्सिडी कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी एवं कुल परियोजना लागत की गणना हेतु भूमि की प्रभावी कीमत का मात्र 10 प्रतिशत ही सम्मिलित किया जायेगा।	प्राधिकरण (यूपीसीडा) अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य संस्था द्वारा आवंटित की जाती है, तो भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण चार्ज को छोड़कर) के रूप में माना जाएगा। निवेशकों को भूमि की लागत मूल्य का 25 प्रतिशत सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की जाएगी। गौतमबुद्ध नगर जिले में यह सब्सिडी 15 प्रतिशत होगी। यह सब्सिडी कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी एवं कुल परियोजना लागत की गणना हेतु लीज डीड/सेल डीड में अंकित भूमि के वास्तविक मूल्य के मात्र 10 प्रतिशत को ही सम्मिलित किया जायेगा।
6	4.5.a	वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयों को भारत सरकार की TUFs/ATUFs स्कीम या भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित स्कीम में निर्धारित मानक के अनुसार पात्रता वाली प्लांट एवं मशीनरी पर ही ब्याज उपादान की सुविधा देय होगी।	पॉलिसी अवधि में वस्त्र एवं गारमेंटिंग इकाईयों को नई प्लांट एवं मशीनरी खरीदने के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गये टर्म लोन पर ब्याज उपादान की सुविधा देय होगी। TUFs/ATUFs स्कीम में प्राविधानित Machinery के अतिरिक्त भी नई प्लांट एवं मशीनरी की खरीद हेतु लिए गए ऋण पर दिये जाने वाले वार्षिक ब्याज का 60 प्रतिशत ब्याज उपादान वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अधिकतम 07 वर्षों की अवधि तक दिया जायेगा। जनपद गौतमबुद्ध नगर में ब्याज उपादान की अधिकतम सीमा ₹0 75 लाख प्रतिवर्ष प्रति यूनिट होगी एवं अन्य जनपदों में यह सीमा ₹0 1.5 करोड़ प्रतिवर्ष प्रति यूनिट होगी
7	9.a	उपरो के निवासी/निवासियों (युवाओं एवं युवतियों) को स्वरोजगार के प्रति आकर्षित कर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में उत्पादन, डिजाइन विपणन या निर्यात से सम्बन्धित नया रोजगार शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। यह विशेष सुविधा 35 वर्ष से अनधिक उम्र के युवाओं/युवतियों को उपलब्ध होगी।	उपरो के निवासी/निवासियों (युवाओं एवं युवतियों) को स्वरोजगार के प्रति आकर्षित कर हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में उत्पादन, डिजाइन, विपणन या निर्यात से सम्बन्धित नया रोजगार शुरू करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। यह विशेष सुविधा 35 वर्ष से अनधिक उम्र के युवाओं/युवतियों को उपलब्ध होगी। दिव्यांगों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं/युवतियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट अनुमन्य होगी।

8	9.b.ii i	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी (आई0आई0 एच0टी0) से तीन वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं जो एक शेड में 5 से 20 हथकरघा अथवा 5 से 10 पावरलूम की स्थापना करके स्वयं के बुनाई का नया रोजगार प्रारम्भ करते हैं, तो उन्हें प्रोजेक्ट कास्ट का 75 प्रतिशत अनुदान देय होगा। यह अनुदान हथकरघा क्षेत्र अधिकतम सीमा रुपये 20 लाख प्रति व्यक्ति/समूह तक सीमित होगी तथा पावरलूम क्षेत्र हेतु अधिकतम सीमा रुपये 60 लाख प्रति व्यक्ति/समूह तक सीमित होगी।	इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी (आई0आई0एच0टी0) अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित 30प्र0 राज्य स्तरीय शिक्षण संस्थान से हथकरघा अथवा वस्त्र विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा/स्नातक उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं जो एक शेड में 5 से 20 हथकरघा अथवा 5 से 10 पावरलूम की स्थापना करके स्वयं के बुनाई का नया रोजगार प्रारम्भ करते हैं, तो उन्हें परियोजना लागत का 75 प्रतिशत अनुदान देय होगा। यह अनुदान हथकरघा क्षेत्र अधिकतम सीमा रुपये 20 लाख प्रति व्यक्ति/समूह तक सीमित होगी तथा पावरलूम क्षेत्र हेतु अधिकतम सीमा रुपये 60 लाख प्रति व्यक्ति/समूह तक सीमित होगी।
---	-------------	---	--

उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पॉलिसी-2022 के शासनादेश सं0- 1233/63-व030-2022-17(एच)/2022 दिनांक 17 अक्टूबर 2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
ANIL KUMAR SAGAR
Date: 13-03-2026

14:48:35 (अनिल कुमार सागर)

प्रमुख सचिव।

संख्या 1032 (1)63-व030-2026 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- निदेशक, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, 30प्र0 कानपुर
- 6- समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- गार्ड फाइल।

Digitally signed by
SHESHMANI PANDEY
Date: 13-03-2026
14:53:19

(शेषमणि पाण्डेय)

विशेष सचिव।